

प्रेषक,
आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में
~ आयुक्त कर
उत्तराखण्ड।

विभाग : वित्त (अनुभाग-8)


दिनांक: देहरादून: 6 मार्च, 2008

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक 3411 दिनांक 09 जनवरी 2009 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा आपने यह जानना चाहा है कि क्या मण्डीशुल्क उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2 की उपधारा 42 में पारिभाषित विक्रय मूल्य में सम्मिलित होगा।

आपकी उक्त जिज्ञासा के सम्बन्ध में विधि परामर्शी/सचिव न्याय से परामर्श प्राप्त किया गया और उन्होंने अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2 की उपधारा 42 में विक्रय मूल्य की जो परिभाषा दी गयी है उस परिभाषा में वर्णित शब्द उस माल के सम्बन्ध में किसी कार्य के निमित्त प्रमारित कोई धनराशि (and shall include any sum charged for any thing done by the dealer in respect of goods at the time or before the delivery thereof) से मण्डी शुल्क भी आच्छादित होगा।

अतः विधि परामर्शी ने यह परामर्श दिया है कि विक्रय मूल्य में मण्डी शुल्क सम्मिलित होगा। कृपया तदनुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

